



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 20, 1979/फाल्गुन 29, 1900
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 1979/PHALGUNA 29, 1900

इस भाग में विभिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1979

[संख्या 24012/42/78-स्था.(ख)]—“अधीनस्थ सेवा आयोग” की स्थापना किए जाने के भारत सरकार के निर्णय की घोषणा दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 46/1 (एस)/74 स्था. (ख) में की गई थी, आयोग (बाद में, जिसका नाम बदल कर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया था) 1 जुलाई, 1976 से कार्य कर रहा है। अब यह आवश्यक हो गया है कि आयोग के कार्यकलापों का विस्तार करने तथा नए कार्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि पूर्वोक्त संकल्प में निम्नलिखित दो संशोधन किए जाएं :—

- (1) ‘कार्मिक’ शीर्षक के अधीन संकल्प के पैराग्राफ 3 में दिए गए विद्यमान अपवादों में से निम्नलिखित शब्द हटा दिए जाएंगे :—

“नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार के कार्यालयों में कर्मचारी”।

- (2) 'कार्यालय का स्थान' शीर्षक के अधून संकल्प के पैराग्राफ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

“कर्मचारी चयन आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में होगा। आगे चल कर आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां इनकी आवश्यकता महसूस होगी और जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी”।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में भेजी जाए और यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के. सी. शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

RESOLUTION

New Delhi, the 17th March, 1979

[No. 24012/42/78-Estt(B)].—The decision of the Government of India to set up a “Subordinate Service Commission” was announced in the Resolution No. 46/1(S)/74-Ests.(B) dated the 4th November, 1975. The Commission (which was subsequently renamed as the Staff Selection Commission) has been functioning from the 1st July, 1976. It has now become necessary to provide for the expansion of the activities of the Commission and also for the opening of new offices. It has accordingly been decided to make the following two amendments in the aforesaid Resolution :—

- (1) from the existing exceptions indicated in paragraph 3 of the Resolution under the heading ‘Functions’, the following words shall be deleted :—

“Staff in the offices of the Comptroller and Auditor General and the Accountants General”.

- (2) in place of the existing entries in paragraph 6 of the Resolution, under the heading ‘Location of office’, the following shall be substituted :—

“the Headquarters of the Staff Selection Commission will be at Delhi. Regional/Sub-regional Offices of the Commission will be opened later at places where such need is felt, as and when such necessity arises”.

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments, all Ministries/Departments of the Government of India, etc. and also that the resolution be published in the Gazette of India.

K. C. SHARMA, Jt. Secy.